Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding alleged irregularities in disbursement of ration under PM Garib Kalyan Anna Yojana in Chhattisgarh -laid.

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): वैश्विक महामारी कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए अनाज सरकार की घोषणानुसार प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो चावल दिया जाना निश्चित किया गया । लेकिन राज्य सरकार, छतीसगढ़ ने ऐसे राशन कार्डधारी जिनके परिवार में एक, दो और तीन सदस्य तक सीमित हैं, उनको यह अतिरिक्त चावल प्रतिव्यक्ति के हिसाब से नहीं दिया गया । राशनकार्ड धारी हितग्राही को एक कार्ड पर सिर्फ पाँच किलो ही चावल वितरण हुआ । बाकी चावल आपको बाद मे दिया जाएगा ऐसा कहकर वितरक ने वापस कर दिया जो आज पर्यंत तक नहीं मिला । केंद्र सरकार द्वारा आवंटित अतिरिक्त चावल भी हितग्राहियों के लिए पहुंचा लेकिन अभी तक वह चावल नहीं दिया गया । इस कथित अनियमितता की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा देने की मांगों को लेकर 7-8 अक्टूबर 2021 को राज्य की राशन दुकानों पर हितग्राहियों ने धरणा प्रदर्शन भी किया फिर भी उस पर कोई उचित सुनवाई नहीं हुई । उन गरीब हितग्राहियों को इस संकट की घड़ी मे छला जाना बहुत ही गंभीर एवं चिंता का विषय है ।

अत: सरकार से मेरी गुजारिश है कि उपरोक्त विषय को संज्ञान में लेकर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की कथित अनियमितता को केन्द्रीय जांच दल द्वारा अतिशीघ्र उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की आवश्यकता है ।